संख्या-823/2017/1154/22-2-2017-17(189)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 अक्टूबर, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 इस्लाम उर्फ असलम पुत्र श्री एतवारी निवासी जनपद-भागलपुर (बिहार) की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/ (एम0 02.05.2017) दिनांक-22.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 इस्लाम उर्फ असलम पुत्र श्री एतवारी जो पिथना, थाना-सवोर वर्तमान-थाना-गोराडीह, जनपद- भागलपुर (बिहार) का रहने वाला है। बन्दी मो0 अहमद की पुत्री को बहला फुसला कर शादी करने के इरादे से अपने घर ले गया। परिवार वाले अपनी पुत्री को उसके घर से वापस ले आये। दिनांक 02-02-1989 को सायं लगभग 05:30 बजे बन्दी उनके घर पहुंचा और ताहिरा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। विरोध करने पर बन्दी ने तमन्चे से गोली मारकर श्रीमती जमीला बीबी एवं 15 वर्षीय स्वेल अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-182/1989 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अष्टम् अपर सत्र न्यायाधीश, वाराणसी के आदेश दिनांक 19.09.1990 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.1992 द्वारा आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.02.2017 तक 28 वर्ष 00 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 36 वर्ष 01 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। सलाहकार समिति में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा 01 निर्दोश महिला एवं उसके पुत्र की हत्या करने का जघन्य अपराध् कारित किया गया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मो0 इस्लाम उर्फ असलम पुत्र श्री एतवारी को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी मो0 इस्लाम उर्फ असलम (बन्दी संख्या-9703/90) पुत्र श्री एतवारी निवासी जनपद-भागलपुर (बिहार) की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-823/2017/1154/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, भागलपुर (बिहार) ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।